**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 672

उत्‍तर देने की तारीख: 27.07.2015

**भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक का पुनःप्रारुपण**

**672. श्री ए॰ विलियम रबि बर्नार्डः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विवादास्पद भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के पुनः प्रारूपण का निर्णय लिया है ताकि कुछ प्रमुख व्यावसायिक विद्यालयों द्वारा दिए गए सुझावों को समाहित किया जा सके क्योंकि यह आलोचना की गई थी कि प्रस्तावित विधान उन संस्थानों की स्वायत्तता समाप्त करने और इन पर नियंत्रण की शक्ति सरकार में समाहित करने के लिए तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रारूप जिन पर आईआईएम के साथ चर्चा की गई थी और जो लोगों की टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक किया गया था, दोनों अलग-अलग थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) और (ख): भारतीय प्रबंधन संस्‍थान (आईआईएम) प्रारूप विधेयक सुझाव आमंत्रित करने के लिए जनसूचनार्थ रखा गया था। मसौदा आईआईएम विधेयक पर आईआईएम सहित स्‍टेकहोल्‍डरों की राय और सुझाव प्राप्‍त हुए हैं। केन्‍द्र सरकार द्वारा हर प्रकार की राय एवं सुझाव पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

(ग) और (घ): मसौदा आईआईएम विधेयक आईआईएम, त्रिची के शासी बोर्ड के तत्‍कालीन अध्‍यक्ष श्री एम.दामोदरन की अध्‍यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था। इस समिति में आईआईएम के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस समिति के प्रस्‍ताव के आधार पर तैयार यह मसौदा अगस्‍त, 2014 में पुन: विचार हेतु सभी आईआईएम को परिचालित किया गया था। आईआईएम के टिप्‍पणियों और सुझावों पर विचार किया गया था और इस मसौदे को अंतर-मंत्रालयीय परामर्श प्रक्रिया के माध्‍यम से अध्‍ययन करने के बाद उस आधार पर संशोधित किया गया था। मसौदे को इस प्रक्रिया के माध्‍यम से तैयार करके सार्वजनिक टिप्‍पणियों के लिए प्रस्‍तुत किया गया था।

**\*\*\*\*\***